

भारत सरकार BHARAT SARKAR
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

No.99/RS(G)/779/5

New Delhi, dated : 15.4.2015

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RCF/RBL/NDLS

Subject: Operation of Option Clause in Stores Contract

- Ref: 1. Railway Board's letter No.99/RS(G)/779/5 dated 12.03.2010**
2. Railway Board's letter No.99/RS(G)/779/5 dated 20.05.2010

One of the zonal railway has asked whether operation of option clauses requires finance concurrence.

With respect to above, it is clarified that the operation of option clause requires finance concurrence for purchase orders where, with option clause quantity, the value of contract is within vetting limit of purchase order.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(This disposes the query raised by Southern Railway's FA & CAO (S&W) letter No. S.236/S&W/PER/SF (Policy) dated 06.01.2015)


(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)
Railway Board

Copy to:

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units.
2. PCEs, All Indian Railways & Production Units.
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways.



for Financial Commissioner / Railways

No: 99/RS(G)/779/5

New Delhi, dated: 15.04.2015

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors—
 - a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
 - b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
 - c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
 - d. Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
 - e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
 - f. Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow


3. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur


(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No: 99/RS(G)/779/5
Copy to :

New Delhi, dated : 16.4.2015

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan


(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MOS(R)
2. CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

रेलवे बोर्ड द्वारा दि० 15-4-2015 को जारी किए गए समसंख्यक पत्र का हिन्दी अनुवाद

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 99/आर एस (जी)/779/5

नई दिल्ली, दिनांक: 1-5-2015

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन

महानिदेशक/अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन/लखनऊ एवं भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/डीएमडब्ल्यू/ पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली, रेल कोच फैक्टरी, आरबीएल/नई दिल्ली

विषय: भण्डार संविदा में विकल्प खण्ड को लागू करना।

संदर्भ: 1. रेलवे बोर्ड का दिनांक 12.03.2010 का पत्र सं.99/आर एस (जी)/779/5

2. रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.05.2010 का पत्र सं. 99/आर एस (जी)/779/5

एक रेलवे ने पूछा है कि क्या विकल्प खण्डों को लागू करने के संबंध में वित्तीय सहमति अपेक्षित है।

उपर्युक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उन खरीद आदेशों के मामले में विकल्प खण्ड को लागू करने के लिए वित्तीय सहमति अपेक्षित है जिनमें विकल्प खण्ड की मात्रा, संविदा का मूल्य, खरीद आदेश की विधीक्षा सीमा के अन्तर्गत हो।

इस रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(इससे दक्षिण रेलवे के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (एस एण्ड डब्ल्यू) द्वारा 06.01.2015 के पत्र सं. एस.236/ एस एण्ड डब्ल्यू/पीईआर/एसएफ (पॉलिसी) के माध्यम से उठाए गए प्रश्न का निपटान हो जाता है।)

संतोष मित्रल
(संतोष मित्रल)

उप निदेशक, रेल भण्डार (सा.)।

रेलवे बोर्ड

सं. 99/आर एस (जी)/779/5

नई दिल्ली, दिनांक: 1-5-2015

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयां

2. पीसीई, सभी भारतीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयां,
3. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (दस अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. निदेशक लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें

AM

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

सं. 99/आर एस (सा)/779/5

नई दिल्ली, दिनांक: 1-5-2015

1. सीओएस, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/रायबरेली/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ एवं आरडब्ल्यूपी/बेला
2. निदेशक-
 - क) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद
 - ख) भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर
 - ग) भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
 - घ) वरिष्ठ प्रोफेसर (सामग्री प्रबंधन), भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा
 - ड.) भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे
 - च) भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
3. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता
4. कार्यपालक, निदेशक (भण्डार), आरडीएसओ, लखनऊ
5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ
6. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, सुकाडिया सर्कल, उदयपुर

संतोष मिश्रा
(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक, रेल भण्डार (सा.) ।
रेलवे बोर्ड

सं. 99/आर एस (जी)/779/5

नई दिल्ली, दिनांक: 1-5-2015

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 248 एवं एनएफआईआर कमरा सं. 256-सी, रेल भवन।
2. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, फ़ोआ, कमरा सं. 256-डी एवं एआईआरपीओएफ, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन।

संतोष मिश्रा
(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक, रेल भण्डार (सा.) ।
रेलवे बोर्ड